राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 140 / 2021

1. महेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
2. रामदीन सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह
4. किरण कंवर पुत्री भागीरथ सिंह
5. सन्तोष पुत्री भागीरथ सिंह
6. डाकू कौर पत्नी भागीरथ सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण बड़ाऊ तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 13–07–2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 461, 128 प्रार्थीगण के पिता / पति का नाम भाग सिंह के स्थान पर भागीरथ सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता / पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–76 खाता सं. 461, 128 ग्राम बड़ाऊ पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 461, 128 प्रार्थीगण के पिता / पति का नाम भाग सिंह के स्थान पर भागीरथ सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बड़ाऊ स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 461, 128 प्रार्थीगण के पिता / पति का नाम भाग सिंह के स्थान पर भागीरथ सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी